आदेश
पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया
डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दिजावे
पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 7.8.25 को पेश
हो।

7.8.25 पत्रावली आज पेश हुई
पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 18.9.25 को पेश की जावे

18.9.25 पत्रावली पेश हुई SDO सा. कैम्प मे पधारे है।
~~वकील वादी उप.~~
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 6.11.25
को पेश हो।

6.11.25 पत्रावली आज पेश हुई
पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 24.11.25 को पेश की जावे

24.11.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुना गया उभय पक्ष ने दावा अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन करने पर प्रकरण मे प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। बिस्तृत अन्तिम निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगू को दिजावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश (RAS)

दावा सं0 : 40/23

1:– माधूलाल पिता काना गुर्जर निवासी जावदियानया तह0 बेगूं

2:– सुगनाबाई पत्नी शिवलाल गुर्जर निवासी जावदियानया तह0 बेगूं

...... वादीगण

– बनाम –

1:– भैरूलाल पिता चुन्नीलाल गुर्जर निवासी जावदियानया तह0 बेगूं

2:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूं

......प्रतिवादीगण

उपस्थित : के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी
दयाशंकर गुर्जर
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 27.5.25

निर्णय वाद अ0धा0 53–88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53–88 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

मौजा जावदियानया प0ह0 अनोपपुरा तह0 बेगूं की वर्तमान जमावंदी खतौनी संवत 2078 खाता सं0 28 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के संयुक्त खातेदारी में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है–

आराजी सं0	क्षेत्रफल(हैक्टेयर)
23	0.0490
24	0.3960
25	0.1130
26	0.5260
27	0.0890
28	0.0570
29	0.0650
कुल किता 07	कुल रकबा – 1.2950 है0

वादपत्र में वर्णित उक्त आराजियात में वादीगण का निहित हक हिस्सा 1/4, 1/4 अंकित स्थित होकर वर्तमान में सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होने से प्रत्येक इंच भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/4, 1/4 निहित है जिसको हर प्रकार से उपयोग उपभोग के अधिकार वादीगण को प्राप्त है।

यह कि उक्त आराजियात पर काश्त करने एवं फसल अवेरते समय वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक रूप से बँटवारा नहीं होने से विवाद होता रहता हैं जिससे वादीगण अपने हिस्से की आराजी को बैटवाडा के अभाव में काश्त कराने एवं फसल लेने में काफी असुविधा महसुस कर रहे है।

वदपत्र में वर्णित आराजियात में का अपना निहित हक हिस्सा 1/4, 1/4 को जरिये बँटवाडा पृथक कराने की कार्यवाही हेतु तहसील में चल कर कार्यवाही बाबत दिनांक 10/12/2022 को कहाँ तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण का यह वाद वास्ते बैटवाडा विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करने की आवश्यक्ता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनांक 10/12/2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को तहसील कार्यालय में चल कर बँटवाडा की कार्यवाही करने बाबत कहने पर मना कर देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करते है –

(अ) कि वाद पत्र की कलम सं० 1 में वर्णित आराजियात में वादीगण के हिस्सा 1/4, 1/4 को जरिये बँटवाडा पृथक किये जाने एवं बाद विभाजन वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि को पृथक से राजस्व रेकार्ड में अंकन करने की आज्ञप्ति पक्ष वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान की जावे ।

(ब) कि अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादीगण हो प्रदान की जावे।

वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 02 फोर्मल पक्षकार होने से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने पर प्रतिवादी सं0 18 का जवाब अवसर बंद किया एवं प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकीलप्रतिवादी द्वारा बंटवारा किये जाने में

त्ति नहीं होने से तनकी कायम नहीं की जाकर वादी माधुलाल पिता काना गुर्जर के साक्ष्यवादी में लमबद्ध करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अवलोकन में पाया कि वादपत्र में अंकित खाता सं0 28 में वर्णित आराजी सं0 23, 24, 25, 26, 27, 29 कुल कीता 07 रकबा 1.2950 है0 में वादी सं0 01 एव 02 का हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज है जिसका ादीगण विभाजन कराने के अधिकारी पाये जाते है। इसी हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में अंकित मौजा जावदियानया प0ह0 अनोपपुरा तह0 बेगूं की वर्तमान जमाबंदी खतौनी संवत 2078 खाता सं0 28 में वर्णित आराजी सं0 सं0 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कुल कीता 07 रकबा 1.2950 है0 में वादी सं0 01 एव 02 का 1/4–1/4 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में आगामी तारीख 7.8.25 से पूर्व पेश करे। यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 27.5.25 ....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

दिनांकः–

क्रमांक/सरिस्ता/2025/

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगू को प्राथमिक आदेश की प्रति वास्ते पालना भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट आगामी पेशी दिनांक .... से पूर्व भिजवाये जाने की सुनिश्चितता करे।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

मूलवाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

सं0 : 40/23

1:– माधूलाल पिता काना गुर्जर निवासी जावदियानया तह0 बेगूं
2:– सुगनाबाई पत्नी शिवलाल गुर्जर निवासी जावदियानया तह0 बेगूं

.... वादीगण

– बनाम –

1:– भैरूलाल पिता चुन्नीलाल गुर्जर निवासी जावदियानया तह0 बेगूं
2:– श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय बेगूँ

.......प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री की तथा प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता दयाशंकर गुर्जर की उपस्थिति में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक .... को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता हैः–

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में अंकित

मौजा जावदियानया प0ह0 अनोपपुरा तह0 बेगूं की वर्तमान जमाबंदी खतौनी संवत 2078 खाता सं0 28 में वर्णित आराजी सं0 सं0 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 कुल कीता 07 रकबा 1.2950 है0 में वादी सं0 01 एव 02 का 1/4–1/4 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में आगामी तारीख 7.8.25 से पूर्व पेश करे। यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 27.5.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
दिनांकः– 30.5.25

क्रमांक/सरिस्ता/2025/390
प्रतिलिपि तहसीलदार बेगू को प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाती है।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़